

राजस्थान सरकार  
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक: प.22(24)न्याय/21

जयपुर, दिनांक 11.11.2021


सुश्री नेहा पुरोहित  
ए-42, लक्ष्मी शिव कृपा  
मौसम विभाग रोड  
मुरलीधर व्यास कॉलोनी, बीकानेर  
राजस्थान-334004

**विषय:**—कार्यग्रहण करने बाबत।

**संदर्भ:**—इस विभाग के आदेश क्रमांक प.22(11)न्याय/2018 दिनांक 11.08.2021 एवं आपके पत्र दिनांक 13.08.2021 के क्रम में।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आपको इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 11.08.2021 द्वारा नियुक्त कर कार्यालय उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर में कनिष्ठ विधि अधिकारी के रिक्त पद पर पदस्थापित किया गया है। इस आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि 15 दिवस में कार्यभार ग्रहण कर इस विभाग को अवगत करावें अन्यथा नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही आरम्भ कर दी जावेगी। नियुक्ति आदेश जारी हुए लगभग 2 माह का समय व्यतीत हो चुका है, किन्तु आपके द्वारा आज दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं किया गया है अपितु नियुक्ति/पदस्थापन की समयावधि में चार-छह माह तक का विस्तारण (Extension) प्रदान करने का आग्रह किया जा रहा है।

आपके द्वारा दिये गये कारणों के आधार पर आपको कार्यग्रहण समयावधि में विस्तारण (Extension) नहीं दिया जा सकता है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि आप 7 दिवस में कार्यग्रहण कर इस विभाग को अविलम्ब अवगत करावें अन्यथा आपके नियुक्ति आदेश को निरस्त कर दिया जावेगा, जिसकी समस्त जिम्मेदारी आपकी स्वयं की होगी।

  
(पुरुषोत्तम लाल सेनी)  
संयुक्त शासन सचिव